न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –06/2018
पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.)

1. रामेश्वर पुत्र शिवजीलाल
2. हंसराज पुत्र शिवजीलाल
3. काली पुत्री शिवजीलाल
4. पार्वती पुत्री शिवजीलाल
5. मनभर पत्नि शिवजीलाल
6. रामप्रसाद पुत्र सुखदेव
7. सांवरिया पुत्र सुखदेव
8. बनवारी पुत्र सुखदेव
9. ऐजन पुत्री काना

तमाम जाति बैरवा निवासीगण ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र सूरजाराम कहार
2. रमेश पुत्र सूरजाराम कहार

तमाम निवासीगण विस्थापित कॉलोनी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर

3. रामदेव कहार पुत्र नामालूम
4. रामचन्द्र कहार पुत्र नामालूम
5. ओमप्रकाश पुत्र नामालूम
6. दुर्गालाल कहार पुत्र नामालूम

तमाम निवासीगण ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

अप्रार्थीगण

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक:–28.5.2019

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सदारा तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 773 के खसरा नम्बर 794/3010 रकबा 1.62 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम जर्ये नामान्तकरण संख्या 1409 दिनांक 21.5.2009 द्वारा दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण के स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज खातेदारी की भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ,उपयोग उपभोग मे चली आ रही । वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण कोई वास्ता व सरोकार आदि नही है। अप्रार्थीगण मात्र वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार है । अप्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थीगण स. 1 लगायात 6 के मध्य आराजीयात को लेकर सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन लडाई झगडा होता है। जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आशुतोष शर्मा तथा प्रतिवादी 3 की ओर से श्री रामसिंह राठौड एड., प्रतिवादी 4 से 6 की और से श्री अनुराग पाण्डे उपस्थित । प्रतिवादी 3 से 6 को जवाब हेतु काफी समय दिया गया किन्तु उनके द्वारा जवाब आदि तथा 4 से 6 का पावर व जवाब पेश नहीं हुआ । लिहाजा प्रतिवादीगण 3 से 6 बार बार आवाजे लगाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है साथ ही प्रतिवादी 1 व 2 के अधिवक्ता जवाब पेश न करके सीधे बहस करना चाहते है लिहाजा बहस सुनी गई जिसका विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है:–

वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यो का बखान करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 773 में दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज होना प्रस्तुत जमाबन्दी से जाहिर होता है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार है जो वादग्रस्त आराजी की सीमाओ को लेकर आये दिन कहासुनी करते है जिसके कारण वादी अपनी खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है जिससे वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान प्रतिवादी 1 व 2 की अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी के बाबत कोई जवाब अथवा दस्तावेज पेश नही किये है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार होना बहस के दौरान जाहिर किया है तथा वादी की आराजी की पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से प्रार्थीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का ग्राम सदारा तहसील केकडी सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 773 के खसरा नम्बर 794/3010 रकबा 1.62 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम जर्ये नामान्तकरण संख्या 1409 दिनांक 21.5.2009 होने से वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 28.5.2019 को लिखाया जाकर [illegible] पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)